



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1940 (श10)

(सं0 पटना 572) पटना, शुक्रवार 15 जून 2018

#### संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना  
6 जून 2018

सं0 सं0का0-01/वि0मं0(बिहार विधान परिषद् भर्ती एवं सेवा शर्तें)05-02/2018-346—भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार विधान परिषद् के सभापति से परामर्श के पश्चात् बिहार विधान परिषद् सचिवालय में नियुक्त कर्मचारीवृन्द (स्टाफ) की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :-

नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(क) यह नियमावली बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(ख) यह बिहार राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा** - जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकार" से तात्पर्य है नियम (6) के अधीन गठित प्राधिकार;

(ख) "भारत के नागरिक" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो संविधान के भाग-(ii) के अधीन भारत का नागरिक हो अथवा भारत का नागरिक समझा जाता हो;

(ग) "संविधान" से तात्पर्य है भारत का संविधान;

(घ) "प्रतिनियुक्ति" से तात्पर्य है सचिवालय के किसी पदाधिकारी की सेवाएं सचिवालय से बाहर के किसी कार्यालय को अस्थायी रूप से सौंपी जानी या सचिवालय से बाहर के किसी पदाधिकारी की सेवाएं इस सचिवालय को अस्थायी रूप से सौंपी जानी;

(ङ) "वित्त विभाग" से तात्पर्य है बिहार राज्य-सरकार का वित्त विभाग;

(च) "सरकार" से तात्पर्य है यथास्थिति केन्द्र अथवा राज्य सरकार;

- (छ) "राज्यपाल" से तात्पर्य है बिहार राज्य का राज्यपाल;
- (ज) "पद" से तात्पर्य है सचिवालय का कोई पद, और कोई पद अनुसूची में यथा उल्लिखित समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के अनुसार समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग का पद समझा जायेगा;
- (झ) "प्रोन्नति समिति" से तात्पर्य है नियम (7) के अधीन गठित समिति;
- (ञ) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस नियमावली की अनुसूची;
- (ट) "चयन समिति" से तात्पर्य है इस नियमावली के नियम (5) के अधीन गठित चयन समिति;
- (ठ) "सचिवालय" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का सचिवालय;
- (ड) "सचिव" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का सचिव;
- (ढ) "सभापति" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का सभापति;
- (ण) "उपसभापति" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का उपसभापति;
- (त) "भर्ती-वर्ष" से तात्पर्य है कैलेंडर वर्ष ।
3. **सचिवालय का संख्या-बल और संरचना :**
- (क) बिहार विधान परिषद् का एक अलग सचिवालय होगा जिसमें समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के उतने स्थायी पद होंगे जितने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं; परन्तु, सभापति, समय-समय पर वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या बढ़ाकर या घटाकर अथवा पद या पदों की कोई नई कोटि का सृजन कर तदनु रूप अनुसूची का संशोधन कर सकेंगे ।
- (ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोटि अथवा नयी कोटि के अस्थायी पद/पदों का सृजन सभापति, आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् कर सकेंगे ।
- (ग) समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, कालावधि और अन्य अर्हताएं वही होंगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **स्थायी स्थानांतरण/ समायोजन अथवा प्रतिनियुक्ति :** नियम (3) के अधीन निरूपित अनुसूची में कोई उपबंध रहते हुए भी किसी पद पर या पदों की किसी श्रेणी में स्थायी स्थानांतरण/ समायोजन अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जा सकेगी।
5. **चयन समिति का गठन :**
- नियम-6 के उप नियम (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पद या पदों की किसी श्रेणी में चयन हेतु सभापति आवश्यकतानुसार चयन समिति का गठन कर सकेंगे जिसके संयोजक सभापति द्वारा नामित परिषद् सचिवालय के निदेशक अथवा उप सचिव होंगे और चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-
- (क) संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि  
(उप सचिव से अन्यून पंक्ति का )-सदस्य
- (ख) उप सचिव, बिहार विधान परिषद् (सभापति द्वारा मनोनीत)-सदस्य  
परन्तु चयन समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से होंगे ।
6. **नियुक्ति प्राधिकार -** (क) सचिव के पद पर नियुक्ति सभापति के परामर्श से बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के व्यक्तियों में से राज्यपाल करेंगे ।
- (ख) अन्य सभी पदों पर नियुक्तियां सभापति करेंगे;  
परन्तु सभापति, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सचिवालय के सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी को ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट समूह-ग के किसी पद पर या पदों की किसी कोटि में भर्ती करने की अपनी शक्ति सौंप सकेंगे ।
7. **प्रोन्नति समिति का गठन:**
- सचिवालय में एक प्रोन्नति समिति होगी जिसमें संयोजक के रूप में सचिव और निम्नलिखित सदस्य प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समाविष्ट होंगे:
- (क) निदेशक, बिहार विधान परिषद् (सभापति द्वारा मनोनीत)  
अथवा  
वरीय उप सचिव, बिहार विधान परिषद् -सदस्य  
(निदेशक का पद रिक्त रहने की स्थिति में सभापति के द्वारा मनोनीत)
- (ख) संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का)  
अथवा  
उप सचिव, बिहार विधान परिषद् (सभापति के द्वारा मनोनीत)-सदस्य

परन्तु प्रोन्नति समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से होंगे।

8. **अनुसूची के कॉलम-7 के अधीन रहते हुए उसमें विनिर्दिष्ट समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भर्ती :-** प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति परिषद् सचिवालय के अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जायेंगी तथा शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-
- (क) हरेक एकान्तर वर्ष के जनवरी माह में सचिव, विद्यमान रिक्तियों के साथ-साथ अगले वर्ष दिसम्बर तक होने वाली संभावित रिक्तियों को निर्धारित कर सकेगा और सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों का विज्ञापन बिहार राज्य में व्यापक रूप में परिचालित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक समाचार पत्र हिन्दी का हो, में करेगा।
- (ख) सभापति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती की पद्धति या पद्धतियां, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक, परीक्षाओं का संचालन हेतु राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त अभिकरण (एजेंसी)/ संस्था आदि विभिन्न पदों के लिए विनियमन के माध्यम से अवधारित होंगे।
- (ग) सभापति द्वारा समय-समय पर अवधारित परीक्षा की रिति (मोड), विषय, पाठ्यक्रम, अंक आदि के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।
- (घ) विज्ञापन के चरण से पैनल की तैयारी तक भर्ती की समग्र प्रक्रिया, सभापति के अनुमोदन से चयन समिति के द्वारा पूरी की जाएगी।
9. (क) **अनुसूची में विनिर्दिष्ट समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों पर प्रोन्नति :-** अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न कोटि के प्रोन्नति हेतु निर्धारित पदों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर भरा जा सकेगा।
- (ख) **वांछित योग्यता:-** अनुसूची के यथाविनिर्दिष्ट पदों पर प्रोन्नति/सीधी भरती हेतु कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी./ एन.ई.आई.एल.टी.) की मान्यता प्राप्त हो, या डी.ओ.ई.ए.सी.सी./ एन.ई.आई.एल.टी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जांच।
- (ग) इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व परिषद् सचिवालय में सृजित पद जो इस नियमावली के अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट हैं, इन पदों के धारकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/प्रोन्नति के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाएगा। (देखें अनुसूची-2)।
10. **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति :-** नियमावली के अनुसूची में जहां सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (Limited Examination) के माध्यम से चयन/ नियुक्ति प्रावधानित है वहां निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी -
- (क) नियम 14(क) के अधीन रहते हुए योग्य अभ्यर्थियों की अलग से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और उनमें से ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने लिखित परीक्षा में निर्धारित अर्हता अंक प्राप्त किया हो।
- (ख) यह समस्त प्रक्रिया सभापति के अनुमोदन से चयन समिति के द्वारा पूरी की जाएगी।
11. **नियुक्ति के सामान्य नियम :-** सभी अभ्यर्थी उस पद की नियुक्ति हेतु आवेदन भरेंगे जिसके लिए उनमें पात्रता है और विज्ञापन में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी विशिष्टियां भी देंगे।
12. **आयु सीमा :-** सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमाएं राज्य सरकार द्वारा समरूप पंक्ति के अथवा समकक्ष पदों पर यथाविहित आयु-सीमाओं जैसी होगी।  
विभागीय अभ्यर्थियों की स्थिति में, यद्यपि अधिकतम आयु-सीमा राज्य सरकार द्वारा समरूप पंक्ति के अथवा समकक्ष पदों पर यथाविहित आयु-सीमाओं जैसी होगी। फिर भी, किसी विशेष उपयुक्त मामले में सभापति को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देने की शक्ति होगी।
13. **परिवीक्षा :-** समूह-ख एवं समूह-ग के किसी कोटि के पद पर सीधी भर्ती अथवा अन्य सेवाओं से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। यदि नियुक्ति प्राधिकार उचित समझे तो परिवीक्षा की अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। किन्तु किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की विस्तारित अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। परिवीक्षा की विस्तारित अवधि में भी, सभापति की राय में सेवा असंतोषजनक होने की दशा में व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकेगी।
14. **विभागीय परीक्षा :-**
- (क) समूह-ख एवं समूह-ग के उच्चतर पद एवं वेतनमान में प्रोन्नति के लिए किसी मूल ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति को सभापति द्वारा समय-समय पर यथाविहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

- (ख) सभापति द्वारा, समय-समय पर, यथानिदेशित ऐसी विभागीय परीक्षाओं का आयोजन सचिव करेंगे।
15. **वरीयता :-** (क) किसी कोटि में सीधी भर्ती से नियुक्त सभी व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता उस मेधा क्रम में अवधारित की जाएगी जिसके तहत ऐसी नियुक्ति के लिए वे चयनित हुए हैं।
- (ख) एक ही भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की स्थिति में सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों से कनीय होंगे।
- (ग) प्रोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर जहां प्रोन्नति दी जाय, ऐसे प्रोन्नत कर्मियों की वरीयता उस क्रम में होगी जैसा कि सभापति द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/ अनुदेश के अनुसार समिति द्वारा ऐसी प्रोन्नति के लिए अनुशंसित हो।
- (घ) उपर्युक्त क्रमांक 'क', 'ख' एवं 'ग' में वरीयता विनियमित करने वाले जिन अन्य विषयों का उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं उन विषयों के संबंध में वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की समरूप पंक्ति के अथवा समकक्ष पदाधिकारियों पर लागू नियमों, आदेशों या निदेशों द्वारा शासित होंगे।
16. **आरक्षण :-** बिहार राज्य के नीतिगत निर्णय के अनुरूप विभिन्न वर्गों के लिए रिक्तियों की उतनी संख्या आरक्षित रहेगी।
17. **नियंत्रण और अनुशासन :-** सचिवालय के सभी पदाधिकारी सभापति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे।
18. **अनुशासनिक प्राधिकार -** नियुक्ति प्राधिकार कर्मचारियों के अनुशासनिक प्राधिकार होंगे। नियुक्ति प्राधिकार अपचारी कर्मचारियों को निलंबित, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, आरोप-पत्र निर्गत करने का आदेश दे सकेंगे या सचिवालय के ऐसा किए जाने वाले किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा ऐसा करवा सकेंगे और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 में निर्दिष्ट कोई शास्ति भी ऐसे कर्मचारी पर अधिरोपित कर या करवा सकेंगे।
19. **अपील -** (1) प्रत्येक पदाधिकारी को सचिव द्वारा मूलतः या अपील पर दिए गए किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध सभापति के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसके द्वारा कोई दण्ड दिया या सम्पुष्ट किया गया हो।  
परन्तु जहां सचिव के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा मूलतः ऐसा आदेश दिया गया हो, वहां सचिव के पास ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी।
- (2) सभापति द्वारा मूलतः या अपील पर दिया गया आदेश अंतिम होगा।  
परन्तु सभापति स्वतः या पुनर्विलोकन का आवेदन किए जाने पर इस नियम के अधीन दिए गए अपने किसी आदेश को पुनरीक्षित या विखण्डित कर सकेंगे।
- (3) यदि अपीलकर्ता ऐसे अपील के ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के अन्तर्गत अपील नहीं करता है तो इस नियम के तहत अपील की सुनवाई नहीं की जाएगी।
20. **अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति -** सभापति पदों की उपलब्धता के अध्यधीन समूह-ग के निम्न वर्गीय लिपिक, चालक, कार्यालय परिचारी एवं क्रम पत्र वितरक के पद पर अपेक्षित अर्हता रखनेवाले किसी भी व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर सकेंगे।
21. **वेतन एवं भत्ते -** सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप पंक्ति अथवा समकक्ष पदों के कर्मचारियों को अनुमान्य है।  
परन्तु यदि असैनिक सचिवालय के किसी ऐसे पद का वेतनमान जो अनुमूची में उल्लिखित पदों की कोटियों के किसी पद के समरूप अथवा समकक्ष हो, सरकार द्वारा पुनरीक्षित किया जाय अथवा अन्य भत्तों में कोई परिवर्तन किया जाए तो ऐसा पुनरीक्षित वेतनमान अथवा अन्य भत्ते इस सचिवालय की समरूप अथवा समकक्ष कोटि के पद के लिए भी लागू माना जाएगा।
22. **सेवा की अन्य शर्तें :-** पदाधिकारियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले जिन अन्य विषयों के संबंध में इस नियमावली में उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, उन विषयों के संबंध में पदाधिकारीगण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू नियमों, आदेशों या निदेशों द्वारा शासित होंगे। परन्तु उनमें ऐसे रूपभेद, परिवर्तन या अपवाद किए जा सकेंगे जो सभापति वित्त विभाग से परामर्श करके, समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे।
23. **शिथिलिकरण -** सभापति किसी विशेष मामले में आवश्यक समझे जाने पर वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् आदेश से किसी नियम की अपेक्षाओं को उस हद तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अभिमुक्ति प्रदान या शिथिल कर सकेंगे।
24. **कारबार का संव्यवहार -** सभापति इस नियमावली एवं इसके प्रयोजनार्थ अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के प्रशासन से पैदा होने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर सुविधाजनक एवं कारगर कारबार के संव्यवहार के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपबंध कर सकेंगे।

25. **निर्वाचन** - इस नियमावली के निर्वाचनों से संबंधित सभी प्रश्न सभापति को निर्देशित किए जाएंगे, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।
26. **अवशिष्ट शक्तियाँ** - इस नियमावली के उपबंधों के अधीन, सभी विषय जो विनिर्दिष्टतः उपबंधित न हों, इस नियमावली में चाहे इस नियमावली के उपबंधों के आनुषंगिक या प्रासांगिक या अन्यथा हों, सभापति द्वारा समय-समय पर दिए गए ऐसे आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।
27. **निरसन एवं व्यावृत्ति (रिपिल एंड सेविंग)**:- इस नियमावली में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1965 और इस नियमावली के लागू होने के ठीक पहले तत्प्रवृत्त नियमावली एवं इस नियमावली के तत्संग नियमावली एतद् द्वारा निरसित (रिपिल्ड) किए जाते हैं।

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमावली के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इस नियमावली के तत्संग उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी तथा नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से सभी संवर्गों में कार्यरत पदाधिकारी अनुसूची में सुसंगत विनिर्दिष्ट कोटि के पद के अनुसार पुनर्नामित/ सामंजित समझे जाएंगे। इस हेतु सभापति द्वारा एक विशिष्ट आदेश निर्गत किया जाएगा।

**बिहार विधान परिषद् सचिवालय**

अनुसूची-1

(नियम-3 का अवलोकन किया जाय)

क्र.	पदनाम	वर्ग	नियोक्ता प्राधिकारी	स्वीकृत बल			
1.	सचिव	राजपत्रित समूह-क	बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि (अतिकाल मानक) के पदाधिकारी का प्रतिनियुक्ति के माध्यम से।	01 (एक)			
<b>प्रशासनिक संवर्ग</b>							
क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्ती		
2.	निदेशक	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 13	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत उप सचिव की श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से जो उप सचिव की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा में रहे हों।	01 (एक)
3.	उप सचिव	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 12	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत अवर सचिव श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से जो अवर सचिव की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त सेवाओं में अवर सचिव और प्रशाखा	07 (सात)

						पदाधिकारी की श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों।	
4.	अवर सचिव	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 11	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी के ऐसे व्यक्तियों में से जो प्रशाखा पदाधिकारी की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष सेवा में रहे हों या जो संयुक्त सेवाओं में प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक की श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों।	19 (उन्नीस)
5.	प्रशाखा पदाधिकारी	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 9	50%	50%	<b>प्रोन्नति हेतु:</b> 50 प्रतिशत रिक्तियां परिषद् सचिवालय में कार्यरत सहायक श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से जो सहायक की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा में रहे हों। <b>सीधी नियुक्ति हेतु:</b> 50% रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों में से भरी जाएगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	41 (इकतालीस)

						द्वारा प्रदत्त स्नातक की उपाधि । अन्य अर्हताएं वही होंगी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असैनिक (सिविल) सेवाओं के लिए आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी ।	
6.	सहायक	समूह-ख अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 7	25%	75%	<p><b>प्रोन्नति हेतु:</b> 25 प्रतिशत रिक्तियां परिषद् सचिवालय में कार्यरत उच्च वर्गीय लिपिक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो उच्च वर्गीय लिपिक श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष या संयुक्त सेवाओं में ग्यारह वर्षों तक उच्च वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक श्रेणी में रहे हों, जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो ।</p> <p><b>सीधी भर्ती हेतु:</b> 75% रिक्तियां खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके</p>	189 (एक सौ नवासी)

						<p>पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो एवं हिन्दी+अंग्रेजी टंकण जांच में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो।</p> <p><b>वांछित योग्यता</b> - सीधी भर्ती/ प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु नियम 9(ख) के अनुसार।</p>	
<b>लिपिकीय संवर्ग</b>							
7.	<b>उच्च वर्गीय लिपिक</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 4	100%	--	<p>परिषद् सचिवालय में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो निम्न वर्गीय लिपिक श्रेणी में कम से कम आठ वर्षों की सेवा में रहे हों, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो।</p> <p><b>वांछित योग्यता</b> - प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु नियम 9(ख) के अनुसार।</p>	81 (इक्यासी)
8.	<b>निम्न वर्गीय लिपिक</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 2	--	100%	<p><b>सीधी भर्ती हेतु:</b></p> <p>1. रिक्तियों का 25 प्रतिशत कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (क्रम पत्र वितरक), कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी (दरवान), कार्यालय परिचारी (फरास), कार्यालय परिचारी (सफाई कर्मी) के पद पर कार्यरत उन</p>	82 (बयासी)

						<p>कर्मचारियों में से विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जिन्होंने कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (क्रम पत्र वितरक), कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (फरास), कार्यालय परिचारी (सफाई कर्मी) के पद पर कम से कम तीन वर्षों की सेवा की हो और जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इण्टरमीडिएट परिषद् की इण्टरमीडिएट की योग्यता हो तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति हो।</p> <p>2. रिक्तियों का 75 प्रतिशत खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इण्टरमीडिएट परिषद् की इण्टरमीडिएट की योग्यता हो तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति हो।</p> <p>3. <b>वांछित योग्यता</b> - सीधी भर्ती/ प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु नियम 9(ख) के अनुसार।</p>	
<b>स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग</b>							
9.	<b>प्रधान आप्त सचिव</b>	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 11	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत आप्त 02 (दो)	

						सचिव श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से जो आप्त सचिव के पद पर कम से कम छः वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त सेवाओं में आप्त सचिव और निजी सहायक श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों।	
10.	<b>आप्त सचिव</b>	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 9	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत निजी सहायक श्रेणी के ऐसे कर्मियों के बीच से जो निजी सहायक के पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा में रहे हों या संयुक्त सेवाओं में निजी सहायक एवं आशुलिपिक के पद पर दस वर्ष की सेवा में रहे हों। <b>वांछित योग्यता</b> - नियम 9(ख) के अनुसार।	05 (पांच)
11.	<b>निजी सहायक</b>	समूह-ख अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 7	50%	50%	<b>प्रोन्नति हेतु:</b> रिक्तियों का 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा परिषद् सचिवालय में कार्यरत आशुलिपिक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो आशुलिपिक श्रेणी में कम से कम पांच वर्षों की सेवा में रहे हों। <b>सीधी भर्ती हेतु:</b> रिक्तियों का 50 प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की	09 (नौ)

						स्नातक उपाधि तथा हिन्दी/अंग्रेजी में आशुलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी/अंग्रेजी टंकण जांच में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। <b>वांछित योग्यता -</b> सीधी भर्ती/ प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु नियम 9(ख) के अनुसार।	
12.	<b>आशुलिपिक</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 4	--	100 %	<b>सीधी भर्ती हेतु:</b> सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास हिन्दी/अंग्रेजी में आशुलिपि गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याय की स्नातक की उपाधि हो। <b>वांछित योग्यता -</b> नियम 9(ख) के अनुसार।	20 (बीस)
<b>सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसम्पर्क संवर्ग</b>							
13.	<b>जनसम्पर्क पदाधिकारी</b>	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 9	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास जनसंपर्क अधिकारी के कार्य हेतु अपेक्षित उपयुक्तता सहित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	01 (एक)

						<p>किसी विषय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि होने के साथ पत्रकारिता या मास कम्यूनिकेशन या पब्लिक रिलेशन्स में डिप्लोमा की उपाधि हो, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में बोलने एवं लिखने का कार्यसाधक ज्ञान हो, <b>बांछित योग्यता</b> - नियम 9(ख) के अनुसार।</p>	
<b>अनुवादक संवर्ग</b>							
14.	<b>सहायक (उर्दू)</b>	समूह-ख अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 7	--	100 %	<p>खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो। स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य होना चाहिए। <b>बांछित योग्यता</b> - नियम 9(ख) के अनुसार।</p>	01 (एक)
15.	<b>सहायक (उर्दू अनुवाद)</b>	समूह-ख अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 7	--	100 %	<p>(क)खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास स्नातक स्तर तक उर्दू भाषा के साथ हिन्दी में स्नातक की उपाधि या स्नातक स्तर तक हिन्दी भाषा के साथ उर्दू में स्नातक की उपाधि</p>	02 (दो)

						<p>हो।                  (ख)हिन्दी से उर्दू या उर्दू से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव।                  (ग)राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से हिन्दी से उर्दू तथा विपर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।  <b>(घ)वांछित योग्यता</b> - नियम 9(ख) के अनुसार।</p>	
16.	<b>अनुवादक (अंग्रेजी/ हिन्दी)</b>	समूह-ख अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 7	--	100 %	<p>(क)खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास स्नातक स्तर तक अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी में स्नातक की उपाधि या स्नातक स्तर तक हिन्दी भाषा के साथ अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि हो।                  (ख)हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव।                  (ग)राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी तथा विपर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।</p>	01 (एक)

						(घ)वांछित योग्यता - नियम 9(ख) के अनुसार।	
सुरक्षा संवर्ग							
17.	<b>मार्शल</b>	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 9	--	100 %	सीधे चयन से पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी के बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों या सैन्यबल सेवा या अर्द्ध सैन्य बल सेवा (भूतपूर्व सैनिक) में सादृश्य पद धारण करने वाले पदाधिकारियों के बीच से। अथवा परिषद् सचिवालय में कार्यरत सहायक मार्शल श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो स्नातक या समकक्ष योग्यताधारी हों तथा जिन्होंने सहायक मार्शल श्रेणी में कम से कम पांच वर्षों की सेवा की हो। <b>वांछित योग्यता</b> - नियम 9(ख) के अनुसार।	01 (एक)
18.	<b>सहायक मार्शल</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 6	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत सहायक अवर मार्शल श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जिन्होंने सहायक अवर मार्शल श्रेणी में कम से कम सात वर्षों की सेवा की हो। <b>अर्हता</b> - इण्टरमीडियट।	03 (तीन)
19.	<b>सहायक अवर मार्शल</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 4	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जिन्होंने सुरक्षा प्रहरी श्रेणी में कम से कम दस वर्षों की सेवा की हो।	06 (छः)

20.	सुरक्षा प्रहरी	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 2	--	100 %	<p>1.खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन उन प्रत्याशियों के बीच से जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के इण्टरमीडिएट परिषद् या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विषय में इण्टरमीडिएट हों। उन्हें शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए।</p> <p><b>2.शारीरिक मानदण्ड:</b></p> <p>(क) पुरुष: ऊँचाई - 167.5 से.मी. (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय) छाती - 76.5 से.मी. - 81 से.मी. दृष्टि - 6/12 बिना चश्में के दोनों आंखों से।</p> <p>(ख) स्त्री: ऊँचाई - 154.6 से.मी. (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय) दृष्टि - 6/12 बिना चश्में के दोनों आंखों से।</p> <p>3.एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण पत्र या विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया</p>	38 (अड़तीस)
-----	----------------	----------------------	----------------------------------	----	----------	--	-------------

						हो या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के टूनमिण्ट में प्रतिनिधित्व किया हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। <b>4.वांछित योग्यता</b> - नियम 9(ख) के अनुसार।	
<b>अवधायक संवर्ग</b>							
21.	<b>अवधायक</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 6	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत सहायक अवधायक श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जिन्होंने सहायक अवधायक श्रेणी में कम से कम सात वर्षों की सेवा की हो।	01 (एक)
22.	<b>सहायक अवधायक</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 4	--	100 %	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि हो। <b>वांछित योग्यता</b> - नियम 9(ख) के अनुसार।	04 (चार)
23.	<b>कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी)</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 1	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर।	04 (चार)
24.	<b>कार्यालय परिचारी (दरबान)</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 1	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक	08 (आठ)

						पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर।	
25.	<b>कार्यालय परिचारी (फरास)</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 1	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर।	31 (इकतीस)
26.	<b>कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी)</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 1	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर।	20 (बीस)
27.	<b>कार्यालय परिचारी (माली)</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 1	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, माली के कार्यों का कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर।	10 (दस)

प्रतिवेदक संवर्ग							
28.	मुख्य प्रतिवेदक	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 12	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत वरीय प्रतिवेदक की श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से जो वरीय प्रतिवेदक की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त सेवाओं में वरीय प्रतिवेदक और प्रतिवेदक की श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों।	01 (एक)
29.	वरीय प्रतिवेदक	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 11	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत प्रतिवेदक श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों में से जो प्रतिवेदक श्रेणी में कम से कम छः वर्ष सेवा में रहे हों।	04 (चार)
30.	प्रतिवेदक	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 9	--	100 %	सीधी भर्ती हेतु (क)खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास स्नातक की उपाधि तथा हिन्दी आशुलिपिक में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति एवं हिन्दी+अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो। (ख)अपेक्षित आशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति आशुलिपि	18 (अट्ठारह)

						जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी सम्पुष्टि स्वीकृत नहीं होगी। (ग)वांछित योग्यता - नियम 9(ख) के अनुसार।	
<b>चालक संवर्ग</b>							
31.	<b>चालक</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 2	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो वैध ड्राईविंग लाइसेंस (एल एम वी/ एच एम वी) धारक हों तथा मैट्रिक पास और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, यांत्रिक जांच, चालन कौशल जांच, ट्रेड जांच (प्रायोगिक) एवं साक्षात्कार के आधार पर। <b>(1) ट्रेड जांच (प्रायोगिक):</b> यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान, काब्यूरिटर, प्लग आदि साफ करने की क्षमता। <b>(2) कार इंजिन का ज्ञान,</b> पेट्रॉल/डीजल या सी एन जी का चालन तथा खराबियों को पता लगाने एवं चालन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने की क्षमता। <b>(3) चक्का बदलने तथा टायर में ठीक</b>	20 (बीस)

						से हवा भरने की योग्यता। (4) यांत्रिक तथा चालन कौशल से प्रायोगिक जांच।	
<b>संदेशवाहक/ मैसेंजर संवर्ग</b>							
32.	<b>कार्यालय परिचारी</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 1	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर।	138 (एक सौ अड़तीस)
33.	<b>क्रम पत्र वितरक</b>	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 1	--	100 %	सीधी भर्ती द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर।	07 (सात)

### बिहार विधान परिषद् सचिवालय

#### अनुसूची - 2

इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व सृजित/स्वीकृत निम्न पद जो इस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट हैं इन पदों के धारकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/प्रोन्नति/संविदा अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाएगा। अस्थायी रूप से उत्क्रमित प्रशाखा पदाधिकारी (अवधायक) का अस्थायी पद इस पद के धारक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के पश्चात् पुनः अवधायक के 01 (एक) स्थायी पद में अवक्रमित हो जाएगा। इस अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हिन्दी प्रकाशन/उर्दू प्रकाशन संवर्ग में मूल कोटि के पद यथा सहायक (हिन्दी प्रकाशन), सहायक (हिन्दी प्रूफ)/ सहायक (उर्दू प्रकाशन), सहायक (उर्दू), सहायक (उर्दू अनुवाद), सहायक (उर्दू प्रूफ) के पद समाप्त होने तक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन)/प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रकाशन) के पद पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नतियां दी जा सकेंगी।

क्र.सं.	अस्थायी रूप से सृजित पद	समाप्त होने वाले पदों की संख्या
1.	अवर सचिव (हिन्दी अनुवाद)	01 (एक)
2.	प्रशाखा पदाधिकारी	09 (नौ)
3.	उप मार्शल	03 (तीन)
4.	अधीक्षक (प्रेषण)	02 (दो)
5.	सहायक मार्शल	06 (छः)
6.	एक्युप्रेशर कंसल्टेंट	01 (एक)
7.	एक्युप्रेशर कंसल्टेंट का सहयोगी	01 (एक)

क्र.सं.	पूर्व से सृजित/स्वीकृत स्थायी पद	समाप्त होने वाले पदों की संख्या
8.	प्रशासी पदाधिकारी (उर्दू कोषांग)	01 (एक)
9.	प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन)	01 (एक)
10.	प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रकाशन)	01 (एक)
11.	प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी अनुवाद)	01 (एक)
12.	प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू कोषांग)	01 (एक)
13.	प्रशाखा पदाधिकारी (कम्प्यूटर)	01 (एक)
14.	सहायक (कातिब)	01 (एक)
15.	सहायक प्रोग्रामर	01 (एक)
16.	सहायक (हिन्दी प्रकाशन)	06 (छः)
17.	सहायक (हिन्दी प्रूफ)	04 (चार)
18.	सहायक (उर्दू प्रकाशन)	06 (छः)
19.	सहायक (उर्दू प्रूफ)	01 (एक)
20.	सहायक (हिन्दी सॉफ्टवेयर)	02 (दो)
21.	सहायक (उर्दू सॉफ्टवेयर)	02 (दो)
22.	हिन्दी विशेषज्ञ	01 (एक)
23.	पी.बी.एक्स. ऑपरेटर	03 (तीन)
24.	दफ्तरी (प्रकाशन)	01 (एक)
25.	अनुसेवक (उर्दू कोषांग)	01 (एक)
26.	अनुसेवक (कम्प्यूटर शाखा)	01 (एक)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**बृज राज राय,**

सरकार के अपर सचिव ।

*The 6<sup>th</sup> June 2018*

No. P.A.-01/V.M.(B.V.P.Rec. & Con. of Ser.) 05-02/2018-347—In exercise of the powers conferred by Clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, after consultation with the Chairman of the Bihar Legislative Council (Bihar Vidhan Parishad) is pleased to make the following rules regulating the Recruitment and Conditions of Service of persons appointed to the Secretariat staff of the Bihar Legislative Council (Bihar Vidhan Parishad).

**1. Short title and commencement:**

(1) These rules may be called the Bihar Legislative Council Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018.

(3) These rules shall come into force with effect from the date of publication in the Bihar Gazette.

**2. Definitions-** In these rules, unless the context otherwise requires:-

(A) “**Appointment Authority**” means the authority constituted under Rule (6);

(B) “**Citizen of India**” means a person who is or is deemed to be citizen of India under Part (II) of the Constitution;

(C) “**Constitution**” means the Constitution of India;

(D) “**Deputation**” means the temporary lien of the services of an officer of the Secretariat to any office outside the Secretariat or vice-versa;

- (E) “**Finance Department**” means the Finance Department of the State Government of Bihar;
- (F) “**Government**” means the Central or State Government as the case may be;
- (G) “**Governor**” means the Governor of State of Bihar;
- (H) “**Post**” means a post in the secretariat and a post, shall be deemed to be a post in Group-‘A’, Group-‘B’ and Group-‘C’ accordingly as such posts specified in Group-‘A’, Group-‘B’ and Group-‘C’ as the case may be, in the First Schedule;
- (I) “**Promotion Committee**” means the committee constituted under Rule (7);
- (J) “**Schedule**” means the Schedules to these Rules;
- (K) “**Selection Committee**” means the committee constituted under Rule (5);
- (L) “**Secretariat**” means the Bihar Legislative Council Secretariat;
- (M) “**Secretary**” means the Secretary of the Bihar Legislative Council;
- (N) “**Chairman**” means the Chairman of the Bihar Legislative Council;
- (O) “**Deputy Chairman**” means the Deputy Chairman of the Bihar Legislative Council;
- (P) “**Year of Recruitment**” means the Calendar Year.

**3. Strength and Composition of the Secretariat -**

- (A) There shall be a separate Secretariat of the Bihar Legislative Council in which there shall be number of permanent posts of the various categories in Group-‘A’, Group-‘B’ and Group-‘C’ such as, specified in the First Schedule.

Provided that, the Chairman may, from time to time, creates such post or posts as may be considered necessary after consultation with the Finance Department and further amend the First Schedule by increasing or reducing the number of posts specified therewith.

- (B) The Chairman may create posts specified in the First Schedule or new category of temporary post/posts as necessitated after consultation with the Finance Department.
- (C) Educational qualification, minimum qualifying period, i.e. kalawadhi and other qualifications for posts of the various groups i.e. Group-‘A’, Group-‘B’ and Group-‘C’ of the Secretariat will be as such specified in the First Schedule.

**4. Permanent Transfer/Absorption or Deputation:** Despite any provision in the First Schedule under Rule (3) the recruitment can be made at any post or group of posts by permanent transfer/absorption or deputation.

**5. Constitution of Selection Committee:** Subject to the provisions of sub-rule (a) of Rule 6, the Chairman shall constitute a Selection Committee for selection to any post or class of post necessitated o which Director or Deputy Secretary of Council Secretariat as nominated by Chairman will be the Convenor and include following as members of Selection Committee:

- (a) Representative of Parliamentary Affairs Department  
Government of Bihar  
(Not below the rank of Deputy Secretary)-Member
- (b) Director, Bihar Legislative Council  
or  
Deputy Secretary, Bihar Legislative Council  
(Nominated by Chairman)-Member

Provided that, in Selection Committee one member will be from Schedule Caste/ Schedule Tribes.

**6. Appointment Authority:** (a) The appointment to the post of Secretary shall be made by the Governor in consultation with the Chairman from amongst persons serving in the Bihar Superior Judicial Services;

(b) Appointment to all the other posts shall be made by the Chairman:

Provided that the Chairman may, by general or special order, delegate to the Secretary or any other officer of the Secretariat his power to make appointment to a post or class of posts specified in Group-‘C’ of First Schedule.

**7. Constitution of Promotion Committee:** In Secretariat there will be a Promotion Committee in which Secretary will be Convenor, comprising following members for consideration of promotion:

- (a) Director, Bihar Legislative Council  
(Nominated by Chairman)-Member
- (b) Representative of Parliamentary Affairs Department  
Government of Bihar  
(Not below the rank of Joint Secretary)  
or  
Deputy Secretary, Bihar Legislative Council  
(Nominated by Chairman)-Member

Provided that, in Selection Committee one member will be from Schedule Caste/Schedule Tribes.

**8. Direct recruitment in Group-‘B’ and Group-‘C’ subject to the provisions of column-7 in the First Schedule:-** Direct recruitment on the post of Section Officer will be done by Bihar Public Service Commission through Combined Competitive Examination in the light of the requisition by the Council Secretariat and the procedure of appointment to the rest of the posts shall be as following:

- (a) Every alternate year In the month of January of every year, the Secretary will determine the existing vacancies as well as the anticipated vacancies upto December next year and vacant posts available for the direct recruitment shall be advertised at least in two daily newspapers having wide circulation in the State of Bihar, of which one newspaper shall be in Hindi.
- (b) The method or methods, syllabus, subject, pattern of examination, marks, agency/institution recognised at national level to conduct examinations for different posts shall be determined by the regulation made by the Chairman.
- (c) For the purpose of selection of candidates the written examination will be conducted as per the mode, subject, syllabus, marks etc. as determined by Chairman from time to time and successful candidate in written examination shall be called for interview as necessitated.
- (d) The entire process of recruitment from the stage of advertisement up to preparation of the panel shall be completed by the Selection Committee with the approval of the Chairman.

**9. Promotion in the various cadre of Group-‘A’, Group-‘B’ and Group-‘C’ posts as specified in the First Schedule:-**

The posts specified in the First Schedule for promotion in various cadres shall be filled upon the recommendation of the Promotion Committee on the basis of seniority-cum-merit.

**10. Appointment by Limited Competitive Examination:** The following procedure will be adopted in selection/appointment where Limited Competitive Examination is provisioned in the First Schedule of these rules:

(A) Subject to Rule 11, Limited Competitive Examination will be held for eligible candidates separately and those obtaining qualifying marks in written examination will be called for interview.

(B) This entire process will be completed by the Selection Committee with the approval of Chairman.

**11. General Rule for Appointment:** All candidates shall fill up an application for appointment for the post for which they are eligible and shall furnish such particulars as may be specified in the advertisement.

**12. Age Limit:** Lower and Upper age limits for appointment by direct recruitment to any of the posts in the services shall be the same as prescribed by the State Government for similar posts.

In case of the departmental candidates, however, the maximum age bar shall be the same as prescribed by the State Government for the similar posts. However, in a suitable case the Chairman shall have the power to relax the upper age limit.

**13. Probation** - Each person whether direct recruitment or from other services appointed at any permanent post in Group-‘B’ and Group-‘C’ shall be on probation in the beginning. Probation period will be of two years from date of appointment. However, the probation period may be extended by the appointment authority suitably. But in no case the extended period of probation will last beyond three years. The service of the person may be terminated in the extended period of probation if in the opinion of Chairman, the service is unsatisfactory.

**14. Departmental Examination :-**

(a) For promotion to upper post of Group-‘B’ and Group-‘C’ and in higher scale a person appointed in any of the basic grade shall have to pass such departmental examination as prescribed by the Chairman from time to time.

(b) The Secretary shall hold such departmental examination as directed by the Chairman from time to time.

**15. Seniority:**

(a) The relative seniority of all direct recruits shall be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment.

(b) In case of the direct recruitment and appointment by promotion in the same recruitment calendar year, the former will be ranked junior to latter.

(c) Where promotion is made on the basis of selection by Promotion Committee, the seniority in such promotion shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the committee as per the guidelines/instructions issued by the Chairman from time to time.

(d) Any other provision, not specified to regulate seniority in serial number ‘a’, ‘b’ and ‘c’ above, the same will be administered as per the rules, orders or instructions in Civil Secretariat of government for corresponding or similarly situated officers.

**16. Reservation:** Such number of vacancies shall be reserved for different classes as per the policy decisions of the State Government of Bihar.

**17. Control and Discipline:** All officers in the Secretariat shall be subject to the superintendence and control of the Chairman.

**18. Disciplinary Authority:** The Appointing Authority shall be the Disciplinary Authority of all categories of employees. The Appointing Authority may suspend, initiate any disciplinary proceeding, issue the charge-sheet against delinquent employees himself or cause the same to be done by any other Officer of the

Secretariat and impose, any of the penalties specified in Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005.

- 19. Appeal** - (i) Every officer shall have a right to appeal to the Chairman against any order passed originally or on appeal by the Secretary imposing or confirming any penalty.

Provided that where an order is passed originally by any authority subordinate to the Secretary, an appeal against such order shall lie to the Secretary.

(ii) The orders of the Chairman whether passed originally or on appeal, shall be final; Provided that the Chairman may, of his motion or on application of review, revise or rescind any orders passed by him under this rule.

(iii) No appeal shall be entertained under this rule unless it is submitted within a period of one month from the date on which the appellant receives a copy of the order appealed against.

- 20. Appointment on Compassionate Ground** - The Chairman may appoint on compassionate ground any person having requisite qualifications against Group-‘C’ posts of LDC, Driver, Office Attendant and Order Paper Distributor, subject to availability of post/posts.

- 21. Pay and Allowances** - The pay and other allowances of the officers and the employees of the Secretariat shall be same as are applicable to the corresponding employees of the State Government.

Any revision of scale of pay and other allowances made by the State Government from time to time with respect to the employees of the State Government will stand adopted for the purposes of these rules with respect to the corresponding posts in the Secretariat.

- 22. Other Conditions of Services** - In respect of the other matters regulating the conditions of service of officers for which no specific provision has been made in these rules, officers shall be governed by such rules, orders or directions as are applicable to the officers of the corresponding rank in the Civil Secretariat of the State Government, subject to such modifications, variations or exceptions, if any, in such rules as the Chairman may, after consultation with the Finance Department, by order, from time to time, specify.

- 23. Relaxation in exceptional cases** - The Chairman of Bihar Legislative Council may by order dispense with or relax the requirements of any rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary in any particular case after consultation with the Finance Department.

- 24. Transaction of Business** - The Chairman may, from time to time, by general or special order, provide for the convenient and efficient transaction of business arising out of the administration of these rules and the procedure to be followed for the purpose.

- 25. Interpretation** - All questions relating to the interpretations of these rules shall be referred to the Chairman, whose decision thereon shall be final.

- 26. Residuary powers** - Subject to the provisions of these rules, all matter not specifically provided for in these rules, whether incidental or ancillary to the provisions of these rules or otherwise shall be regulated in accordance with such orders as the Chairman may from time to time make.

- 27. Repeal and Saving** - Save as otherwise expressly provided in these rules, all rules including the Bihar Legislative Council Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1965 and rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules and serving officers in all cadres will be deemed to have been renamed/adjusted as per the relevant posts specified in the Schedule-I from the date of these rules coming into force. A special order will be issued for this by the Chairman.

**Bihar Legislative Council Secretariat**

**Schedule - I**

**(See Rule-3)**

Sl. No.	Post	Classification	Appointing Authority			Sanctioned Post	
1.	Secretary	Group-A Gazetted	Governor of Bihar by way of deputation of officers of Bihar Superior Judicial Services of the rank of District and Sessions Judge (Super time scale)			01(One)	
<b>Administrative Cadre</b>							
Sl. No.	Post	Classification	Pay Scale (As per recommendations of the Seventh Pay Commission)	Ratio of the Posts to be filled by		Mode of Recruitment and Qualification for Appointment	Sanctioned Post
				Promotion	Direct Recruitment		
2.	Director	Group-A Gazetted	Pay Level-13 in Pay Structure	100%	--	Promotion from persons in the grade of Deputy Secretary with a minimum of 05 (five) years services in the grade of Deputy Secretary	01(One)
3.	Deputy Secretary	Group-A Gazetted	Pay Level-12 in Pay Structure	100%	--	Promotion from persons in the grade of Under Secretary with a minimum of 05 (five) years services in the grade of Under Secretary or 08 (eight) years of combined services in grade of Under Secretary and Section Officer	07(Seven)
4.	Under Secretary	Group-A Gazetted	Pay Level-11 in Pay Structure	100%	--	Promotion from persons in the grade of Section	19 (Nineteen)

						Officer with a minimum of 06 (six) years services in the grade of Section Officer or 08 (eight) years of combined services in grade of Section Officer and Assistant	
5.	<b>Section Officer</b>	Group-B Gazetted	Pay Level-9 in Pay Structure	50%	50%	<p><b>For Promotion:</b> 50% of vacancies by Promotion from persons in the grade of Assistant with a minimum of 05 (five) years services in the grade of Assistant</p> <p><b>For Direct Recruitment :</b> 50% of vacancies to be filled by candidates selected through combined competitive examination of Bihar Public Service Commission.</p> <p>Educational qualification for direct recruitment to these posts shall be graduate from universities recognised by State Government/ Central government.</p>	41 (Forty-one)

						Other qualification will be the same as determined by State Government for civil services combined competitive examination of Bihar Public Service Commission	
6.	Assistant	Group-B Non-Gazetted	Pay Level-7 in Pay Structure	25%	75%	<p><b>For Promotion :</b> 25% of the vacancies by promotion from persons in the grade of Upper Division Clerk (UDC) with a minimum of 05 (five) years services in the grade of Upper Division Clerk (UDC) or 11 (eleven) years of combined services in the grade of Upper Division Clerk (UDC) and Lower Division Clerk (LDC), and possessing graduation degree from State/ Central Government recognized university.</p> <p><b>For Direct Recruitment :</b> Selection through competitive</p>	189 (One hundred eighty-nine)

						examination from amongst the candidates possessing graduate degree from recognised university of the State Government/ Central Government <b>Desirable</b> - As per Rule 9(b) for Direct recruitment/ Promotion	
<b>CLERICAL CADRE</b>							
7.	<b>Upper Division Clerk</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-4 in Pay Structure	100 %	--	Promotion from persons in the grade of Lower Division Clerk (LDC) with a minimum of 08 (eight) years services in the grade of Lower Division Clerk (LDC) and possessing graduation degree from State/ Central Government recognized university. <b>Desirable</b> - As per Rule 9(b) for Promotion	81 (Eighty-one)
8.	<b>Lower Division Clerk</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-2 in Pay Structure	--	100%	1.25% of the vacancies in a calendar year by promotion from Office Attendant, Office Attendant (Order Paper Distributor) Office	82 (Eighty-two)

						<p>Attendant (Night Guard), Office Attendant (Darban), Office Attendant (Farrash), Office Attendant (Sweeper) employees with a minimum of 03 (three) years services in the post of Office Attendant, Office Attendant (Order Paper Distributor) Office Attendant (Night Guard), Office Attendant (Darban), Office Attendant (Farrash), Office Attendant (Sweeper) possessing Intermediate from the Intermediate Council or any institution recognized by State/Central Government on the basis of merit cum seniority through departmental limited competitive examination and possessing</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Hindi and English typing speed of 30 w.p.m. 2.75% of the vacancies in a calendar year by selection through open competitive examination amongst the candidates possessing Intermediate from the Intermediate Council or any institution recognized by State/ Central Government and possessing Hindi and English typing speed of 30 w.p.m. <b>3.Desirable</b> -As per Rule 9(b)	
<b>STENOGRAPHER &amp; PRIVATE SECRETARY CADRE</b>							
9.	<b>Principal Private Secretary</b>	Group-A Gazetted	Pay Level-11 in Pay Structure	100%	--	Promotion from persons in the grade of Private Secretary with a minimum of 06 (six) years services in the grade of Private Secretary or 08 (eight) years of combined services in grade of Private Secretary and	02(Two)

						Personal Assistant	
10.	<b>Private Secretary</b>	Group-B Gazetted	Pay Level-9 in Pay Structure	100%	--	Promotion from persons in the grade of Personal Assistant with a minimum of 05 (five) years services in the grade of Personal Assistant or 10 (Ten) years combined services in the grade of Private Secretary and Personal Assistant. <b>Desirable</b> -As per Rule 9(b) for Promotion	05 (Five)
11.	<b>Personal Assistant</b>	Group-B Non-Gazetted	Pay Level-7 in Pay Structure	50 %	50 %	<b>For Promotion :</b> 50% of the vacancies in a calendar year by promotion from persons in the grade of Stenographer with minimum of 05 (five) years service in the grade of	09 (Nine)

						<p>Stenographer.</p> <p><b>For Direct Recruitment :</b>                      50% of the vacancies in a calendar year by selection through open competitive examination from amongst the candidates possessing graduate degree in any subject recognised by the University of State Government or Central Government and Shorthand speed of 100 w.p.m. in English/Hindi and Typing speed of 30 w.p.m. in Hindi/English</p> <p><b>Desirable</b>                      -As per Rule 9(b) for Direct recruitment/                      Promotion</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

12.	<b>Stenographer</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level- 4 in Pay Structure	--	100%	<b>For Direct Recruitment :</b> Direct recruitment through open competitive examination from amongst the candidates possessing graduate degree in any subject recognized by the University of State Government or Central Government and Shorthand speed of 80 w.p.m. in English/H indi and Typing speed of 30 w.p.m. in Hindi/Eng lish <b>Desirable</b> -As per Rule 9(b) for Direct recruitment/ Promotion	20 (Twenty)
<b>INFORMATION, BROADCAST, CIRCULATION &amp; PUBLIC RELATION CADRE</b>							
13.	<b>Public Relation Officer</b>	Group-B Gazetted	Pay Level- 9 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment through open competitive examination from amongst	01 (One)

						the candidates possessing graduate degree in any subject recognized by the University of State Government or Central Government with requisite aptitude for the job of Public Relation Officer with Diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations, possessing working knowledge of English and Hindi. <b>Desirable</b> -As per Rule 9(b)	
<b>TRANSLATOR CADRE</b>							
14.	<b>Assistant (Urdu)</b>	Group-B Non-Gazetted	Pay Level-7 in Pay Structure	--	100%	Selection through open competitive examination from amongst the candidates possessing graduate degree from the recognized University of the State Government or the	) 01One)

						Central Government One subject in the language must be Urdu in Bachelor Degree. <b>Desirable</b> - As per Rule 9(b)	
15.	<b>Assistant (Urdu Translation)</b>	Group-B Non-Gazetted	Pay Level-7 in Pay Structure	--	100%	1.Direct recruitment through open competitive examination from amongst the candidates possessing Bachelor degree in Hindi with Urdu language upto degree level or Bachelor Degree in Urdu with Hindi language upto degree level. 2.Two years experience in translation Hindi to Urdu or Urdu to Hindi. 3.Diploma/Certificate Course in translation from Hindi to Urdu and vice-versa from any University/Institute recognized by the State Government/ Central Government. 4. <b>Desirable</b> -	02 (Two)

						As per Rule 9(b)	
16.	<b>Translator (English/Hindi)</b>	Group-B Non-Gazetted	Pay Level-7 in Pay Structure	--	100%	1.Direct recruitment through open competitive examination from amongst the candidates possessing Bachelor degree in Hindi with English language upto degree level or Bachelor Degree in English with Hindi language upto degree level. 2.Two years experience in translation Hindi to English or English to Hindi. 3.Diploma/Certificate course in translation from Hindi to Urdu and vice-versa from any University/ Institute recognized by the State Government / Central Government . 4. <b>Desirable</b> -As per Rule 9(b)	01 (One)
<b>SECURITY CADRE</b>							
17.	<b>Marshall</b>	Group-B Gazetted	Pay Level-9 in Pay Structure	--	100%	Direct selection from amongst Bihar Police	01 (One)

						Service Officers of the rank of Deputy Superintendent of Police or Officers holding in an analogous post in Defense or Para-military forces service (Ex-Serviceman). Or Promotion from amongst the employees of the grade of Assistant Marshall possessing 05 (five) years service and possessing graduate degree. <b>Desirable -</b> As per Rule 9(b)	
18.	<b>Assistant Marshall</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-6 in Pay Structure	100%	--	Promotion from amongst the persons in the grade of Assistant Under Marshall with a minimum of 07 (seven) years services in the grade of Assistant Under Marshall <b>Qualification- Intermediate</b>	03 (Three)
19.	<b>Assistant Under Marshall</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-4 in Pay Structure	100%	--	Promotion from amongst the persons in the grade of Security Guard with a minimum	06 (Six)

						of 10 (ten) years services in the grade of Security Guard.	
20.	<b>Security Guard</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-2 in Pay Structure	--	100%	<p>(1) Selection through open competitive examination from amongst the candidates possessing Intermediate in any subject recognised by Intermediate Council/Board of State Government / Central Government . They should also be free from physical defect, deformity or disease.</p> <p><b>(2) Physical Standards:</b></p> <p>(a) <b>Male:</b>                      Height - 167.5 cm (relaxable by 2.4 cm in case of hill area residents)                      Chest - 76.5 cm - 81 cm                      Vision - 6/12 in both eyes without glasses.</p> <p>(b) <b>Female:</b>                      Height - 154.6 cm (relaxable by 2.4 cm in case of hill area residents)                      Vision -</p>	38 (Thirty-eight)

						6/12 in both eyes without glasses.  (3) Preference shall be given to candidates possessing 'C' certificate in N.C.C. or sportsman of distinction who have represented a State or Country at the National or International level or who have represented in any recognised University tournament. <b>(4) Desirable -</b> As per Rule 9(b)	
<b>CARETAKER CADRE</b>							
21.	<b>Care-taker</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-6 in Pay Structure	100%	--	Promotion from the persons in the grade of Assistant Caretaker with minimum 07 (seven) years services in the grade of Assistant Caretaker.	01 (One)
22.	<b>Assistant Care-taker</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-4 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment through open competitive examination from	04 (Four)

						amongst the candidates possessing graduate degree from the recognized University of the State Government or the Central Government. <b>Desirable</b> -As per Rule 9(b)	
23.	<b>Office Attendant (Night Guard)</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-1 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment from amongst the candidates possessing certificate of Matric pass and possessing working knowledge of both Hindi and English language and ability to do cycling, on the basis of interview.	04 (Four)
24.	<b>Office Attendant (Darban)</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-1 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment from amongst the candidates possessing certificate of Matric pass and possessing working knowledge of both	08 (Eight)

						Hindi and English language and ability to do cycling, on the basis of interview.	
25.	<b>Office Attendant (Farrash)</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-1 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment from amongst the candidates possessing certificate of Matric pass and possessing working knowledge of both Hindi and English language and ability to do cycling, on the basis of interview.	31 (Thirty one)
26.	<b>Office Attendant (Sweeper)</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-1 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment from amongst the candidates possessing certificate of Matric pass and possessing working knowledge of both Hindi and English language and ability to do cycling, on the basis of interview.	20 (Twenty)

27.	<b>Office Attendant (Gardener)</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-1 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment from amongst the candidates possessing certificate of Matric pass and possessing working knowledge of both Hindi and English language and ability to do cycling, gardener's experience of minimum two years, on the basis of interview.	10 (Ten)
<b>REPORTER CADRE</b>							
28.	<b>Chief Reporter</b>	Group-A Gazetted	Pay Level-12 in Pay Structure	100%	--	Promotion from persons in the grade of Senior Reporter with a minimum of 05 (five) years services in the grade of Senior Reporter or 08 (eight) years combined services in the grade of Senior Reporter and Reporter	01 (One)
29.	<b>Senior Reporter</b>	Group-A Gazetted	Pay Level-11 in Pay Structure	100%	--	Promotion from persons in the grade	04 (Four)

						of Reporter with a minimum of 06 (six) years services in the grade of Reporter	
30.	<b>Reporter</b>	Group-B Gazetted	Pay Level-9 in Pay Structure	--	100%	(1) Selection through competitive examination from amongst the candidates possessing graduate degree and Hindi-shorthand speed of 150 w.p.m. and Hindi+English typing speed of 35 w.p.m. (2) In case sufficient number of candidates with requisite shorthand speed is not available though with shorthand speed of 140 w.p.m. may be considered for appointment on the condition that they should qualify the	18 (Eighteen)

						shorthand test at the speed of 150 w.p.m. within a year failing which they will not be granted annual increment and their confirmation in the grade referred. <b>Desirable</b> -As per Rule 9(b)	
<b>DRIVER CADRE</b>							
31.	<b>Driver</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-2 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment through Trade-Test (Practical) and Interview from amongst the matriculation pass candidates possessing valid driving license (L.M.V./H.M.V.) with working knowledge of both Hindi and English and ability of cycling. T(1) Trade Test (Practical) -Knowledge of traffic regula-	20 (Twenty)

						<p>tions and Motor Vehicle Act, ability to clean Carburettor, plug etc.</p> <p>((2) Knowledge of car engine, driving of petrol/diesel or C.N.G. and ability to locate faults and rectify minor running defects.</p> <p>((3) Ability to change wheels and correctly inflate tyres.</p> <p>(4) Practical Test in mechanical and driving skill.</p>	
<b>MESSENGER CADRE</b>							
32.	<b>Office Attendant</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-1 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment from amongst the candidates possessing certificate of Matric pass and possessing working knowledge of both Hindi and English	138(One hundred thirty-eight)

						language and ability to do cycling, gardener's experience of minimum two years, on the basis of interview.	
33.	<b>Order Paper Distributor</b>	Group-C Non-Gazetted	Pay Level-1 in Pay Structure	--	100%	Direct recruitment from amongst the candidates possessing certificate of Matric pass and possessing working knowledge of both Hindi and English language and ability to do cycling, gardener's experience of minimum two years, on the basis of interview.	07 (Seven)

Bihar Legislative Council Secretariat  
Schedule - II

The posts, as specified in this Schedule-II, created/approved in different cadres under different categories before coming into force of these Rules, shall terminate automatically after promotion/retirement/death/completion of contract period of the post holders of these posts. After retirement/death of the post holder of temporarily upgraded Section Officer (Caretaker) the said shall change back to 01 (one) permanent post of Caretaker. Till the termination of basic grade posts of Hindi Publication and Urdu Publication cadres viz. Assistant (Hindi Publication), Assistant (Hindi Proof)/ Assistant (Urdu Publication, Assistant (Urdu), Assistant (Urdu Translation), Assistant (Urdu Proof), promotions shall be given on the posts of Section Officer (Hindi Publication)/ Section Officer (Urdu Publication) falling vacant, on the basis of seniority from the specified basic grade posts of Hindi Publication/Urdu Publication.

Sl.No.	Temporary Posts	No. of Posts to be terminated
1.	Under Secretary (Hindi Translation)	01
2.	Section Officer	09
3.	Deputy Marshall	03
4.	Superintendent (Issue)	02
5.	Assistant Marshall	06
6.	Acupressure Consultant	01
7.	Assistant to Acupressure Consultant	01

Sl.No.	Sanctioned Posts	No. of Posts to be terminated
8.	Administrative Officer (Urdu Cell)	01
9.	Section Officer (Hindi Publication)	01
10.	Section Officer (Urdu Publication)	01
11.	Section Officer (Hindi Translation)	01
12.	Section Officer (Urdu Cell)	01
13.	Section Officer (Computer)	01
14.	Assistant (Katib)	01
15.	Assistant Programmer	01
16.	Assistant (Hindi Publication)	06
17.	Assistant (Hindi Proof)	04
18.	Assistant (Urdu Publication)	06
19.	Assistant (Urdu Proof)	01
20.	Assistant (Hindi Software)	02
21.	Assistant (English Software)	02
22.	Hindi Specialist	01
23.	P.B.X. Operator	03
24.	Daftary (Publication)	01
25.	Peon (Urdu Cell)	01
26.	Peon (Computer Cell)	01

By order of the Governor of Bihar,  
BRIJ RAJ RAI,  
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 572-571+1000-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>